राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2507/2025

बनबारी लाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2), शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जिला डींग।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.04.2025
आदेश की दिनांक : 08.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अभिमन्यु सिंह यदुवंशी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को व्याख्याता संस्कृत के पद पर पदोन्नति हेतु काउंसिलिंग की जावे और विद्यालय आवंटित करते हुये समस्त पदोन्नति पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें तथा यह भी निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को वेतन निर्धारण व अन्य लाभ देते हुये मय शेष राशि का भुगतान पदोन्नति दिनांक 13.12.2024 से, के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर हुई थी और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 20.11.2024 को अलग–अलग विषयों के व्याख्याता के पद की डीपीसी वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के लिये आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थी के नाम पर व्याख्याता संस्कृत के लिये विचार किया गया और आदेश दिनांक 13.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को व्याख्याता संस्कृत के पद पर योग्य पाते हुये उसका चयन किया गया। अपीलार्थी का नाम चयन वर्ष 2022–23 में क्रम संख्या 10293 पर वरिष्ठता

क्रमांक 9534 पर नाम अंकित है। प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा पदोन्नत कार्मिकों को कार्यग्रहण के लिये निर्देश जारी किये गये। अपीलार्थी ने पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करने के लिये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुचावटी, डींग में कार्यग्रहण किया। उनका तर्क है कि अपीलार्थी के कार्यग्रहण की सूचना विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 को नहीं भेजी गई। व्याख्याता संस्कृत के पद पर पदोन्नत विद्यालय आवंटन हेतु काउंसिलिंग की सूचना जारी की गई और दिनांक 06.02.2025 से 11.02.2025 तक काउंसिलिंग की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 254 पर है, परंतु काउंसिलिंग स्थगित करते हुये पुनः दिनांक 29.03.2025 से 07.04.2025 तक रिशेड्यूल की गई, इसके संबंध में दिनांक 26.03.2025 को नोटिस जारी किये गये। परंतु बिना कोई कारण बताये एवं नोटिस दिये सूची में से अपीलार्थी का नाम विलोपित कर दिया गया। जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 01.04.2025 को प्रत्यर्थी विभाग को काउंसिलिंग एवं विद्यालय आवंटन हेतु सूची में नाम जोडने के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया और आदेश दिनांक 12.04.2025 जारी करते हुये कार्यग्रहण करने के संबंध में निर्देश दिये गये। परंतु अपीलार्थी को वंचित रखा गया, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को व्याख्याता संस्कृत के पद पर पदोन्नति हेतु काउंसिलिंग की जावे और विद्यालय आवंटित करते हुये समस्त पदोन्नति पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें तथा यह भी निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को वेतन निर्धारण व अन्य लाभ देते हुये मय शेष राशि का भुगतान पदोन्नति दिनांक 13.12.2024 से, के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी व्याख्याता के पद पर कार्य कर रहा है और आवश्यक कार्यवाही अपीलार्थी के विरूद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के क्रम में जारी की गई है। परिपत्र में पदोन्नति के संबंध में निम्नलिखित उल्लेखित किया गया है :–

> *''13.14 जिन प्रकरणों में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होते समय तक प्रतिकूल प्रविष्ठियों के संदर्भ में राजसेवक को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान ही नहीं किया गया हो अथवा राजसेवक का अभ्यावेदन प्राप्त होकर उस पर समुचित निर्णय नहीं लिया गया हो, ऐसे प्रकरण विभागीय पदोन्नति समिति के ध्यान में ले जाएंगे ताकि इस प्रकार के राजसेवकों के संदर्भ*

में पदोन्नति की सिफारिश करने अथवा उनके लिए पद आरक्षित रखते हुए पदोन्नति की कार्रवाई स्थगित कर दी जाने का निर्णय लिया जा सके।''

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 20.11.2024 को डीपीसी आयोजित की गई और पदोन्नति प्रक्रिया को किसी कारणवश रोका गया था, परंतु स्कूल व्याख्याता संस्कृत के पद पर चयन प्रक्रिया को नहीं रोका गया और अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध स्कूल व्याख्याता संस्कृत के पद पर चयन हुआ। परंतु अपीलार्थी की एसीआर वर्ष 2019–20 में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज होने के कारण उसके प्रस्ताव पर पुनः विचार हेतु भेजा गया, जिसके कारण अपीलार्थी की पदोन्नति चयन प्रक्रिया को रोका गया। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष नियम विरूद्ध है और अपीलार्थी द्वारा अपील में मांगे गये लाभ पाने का हकदार नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर हुई थी और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 20.11.2024 को अलग–अलग विषयों के व्याख्याता के पद की डीपीसी वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के लिये आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थी के नाम पर व्याख्याता संस्कृत के लिये विचार किया गया और आदेश दिनांक 13.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को व्याख्याता संस्कृत के पद पर योग्य पाते हुये उसका चयन किया गया। अपीलार्थी का नाम चयन वर्ष 2022–23 में क्रम संख्या 10293 पर वरिष्ठता क्रमांक 9534 पर नाम अंकित है। प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा पदोन्नत कार्मिकों को कार्यग्रहण के लिये निर्देश जारी किये गये। अपीलार्थी ने पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करने के लिये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुचावटी, डींग में कार्यग्रहण किया। जहां तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्कूल व्याख्याता संस्कृत के पद की काउंसिलिंग करते हुये अपीलार्थी को विद्यालय आवंटित तथा समस्त पदोन्नति लाभ दिनांक 13.12.2024 से नहीं दिये जाने का प्रश्न है, हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत हैं कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 20.11.2024 को आयोजित डीपीसी की अनुशंषा के आधार पर अपीलार्थी का व्याख्याता स्कूल शिक्षा संस्कृत विषय में चयन हुआ और चयन सूची क्रमांक 10293 पर वरिष्ठता क्रमांक 9534, वरिष्ठता अवधि वर्ष 2012–13 एवं चयन वर्ष 2022–23 में किया गया, जिसके क्रम में आदेश दिनांक 17.12.2024 की पालना में दिनांक 18.12.2024 को अपीलार्थी ने राजकीय उच्च

माध्यमिक विद्यालय, कुचावटी, डींग में कार्यग्रहण किया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.01.2025 द्वारा काउंसिलिंग हेतु स्थायी वरियता सूची में अपीलार्थी का नाम संस्कृत विषय में मेरिट क्रमांक 254 पर दर्ज किया गया और व्याख्याता पद की ऑनलाईन काउंसिलिंग दिनांक 06.02.2025 से 11.02.2025 में अपीलार्थी का नाम शामिल किया गया। परंतु पुनः उक्त पद की ऑनलाईन काउंसिलिंग रिशेड्यूल पश्चात् दिनांक 28.03.2025 को प्रकाशित व्याख्याता स्कूल शिक्षा संस्कृत की स्थायी वरियता सूची में अपीलार्थी का नाम विलोपित कर दिया गया, जिसके कारण अपीलार्थी विद्यालय विकल्प भरने से वंचित रह गया। जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किया गया कृत्य उचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि अपीलार्थी वरिष्ठता अनुसार पदोन्नति पाने का हकदार है और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को डीपीसी की अनुशंषा के आधार पर स्कूल व्याख्याता संस्कृत के पद पर उसके नाम पर विचार किया गया और अपीलार्थी ने पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण भी किया, परंतु विद्यालय आवंटन के संबंध में काउंसिलिंग रिशेड्यूल होने के पश्चात् स्थायी वरियता सूची से अपीलार्थी का नाम विलोपित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी पदोन्नति उपरांत व्याख्याता स्कूल शिक्षा संस्कृत के पद पर कार्यग्रहण दिनांक से समस्त पदोन्नति लाभ आदि नियमानुसार प्राप्त करने का हकदार है। इस प्रकार उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी के संबंध में पुनः काउंसिलिंग करते हुये व्याख्याता स्कूल शिक्षा संस्कृत के पदोन्नत पद के संबंध में विद्यालय आवंटित करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ उसके कार्यग्रहण तिथि से नियमानुसार प्रदान किये जावें एवं उसका वेतन निर्धारण करते हुये मय शेष राशि भुगतान की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य